अनुलग्नक – 2

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

<u>अधिसूचना</u>

संख्या–पर्या0/वन–07/2007............................../प0व0ज0प0, पटना–15, दिनांक–..............

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित किए जाने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार की अधिसूचना सं0 188 (ई.) दिनांक 27.03.2017 द्वारा "बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017" अधिसूचित की गई है।

उक्त नियमावली के नियम–25 के अन्तर्गत स्थानीय निकायों के स्तर पर जैव विविधता समिति के गठन का प्रावधान एवं इसके कार्यों को अभिनिर्धारित किया गया है। राज्य में जैव विविधता संरक्षण इस बात पर निर्भर करेगा कि समितियां, अभिनिर्धारित कार्यों को कितनी दक्षता से सम्पादित करती हैं।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 61 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने हेतु वनों के क्षेत्र पदाधिकारी से अन्यून स्तर के वन अधिकारी को भारत सरकार के कार्यालय आदेश सं0 120 (अ) दिनांक 07.01.2009 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रुप में अधिसूचित किया गया है। उक्त को प्रभावी बनाने हेतु तथा राज्य के स्थानीय निकायों में बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के अधीन गठित जैव विविधत्ता प्रबंधन समितियों (BMC) के विभिन्न विषयों/कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी/उप वन संरक्षक (वन्यप्राणी प्रमण्डलों सहित) को जैव विविधता अधिनियम के प्रयोजनार्थ नाभिक पदाधिकारी (Nodal Officer) घोषित किया जाता है।

संबंधित नोडल पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी अपने नियंत्री वन संरक्षक, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) को मासिक पर्यवेक्षण प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(सुबोध कुमार चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– पर्या0/वन–07/2007............................../प0व0ज0प0, पटना–15, दिनांक–.........

प्रतिलिपि :– ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि मुद्रित गजट की 200 (दो सौ) प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

ह0/–
(सुबोध कुमार चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:— पर्या0 / वन—07 / 2007................................/ प0व0ज0प0, पटना—15, दिनांक—.........

प्रतिलिपि :— सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड, नई दिल्ली—110003 / वन महानिदेशक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड, नई दिल्ली—110003 / राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, 5वां तल्ला, TICEL Biopark, Taramani, Chennai-600113 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / —

(सुबोध कुमार चौधरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:— पर्या0 / वन—07 / 2007....992 (वि०)..... / प0व0ज0प0, **पटना—15, दिनांक**—28/08/2020

प्रतिलिपि :— महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना / माननीय उप मुख्य (पर्या0, वन एवं जलवायु परिवर्तन) मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना / मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार, पटना / मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी / सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / महालेखाकार, बिहार, पटना / प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना / प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना / सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना / सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / सभी मुख्य वन संरक्षक / सभी वन संरक्षक / सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

28-8-20

(सुबोध कुमार चौधरी)

सरकार के संयुक्त सचिव